FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

सरकार बनाम सुरजाराज

किस्म मुकदमा :—वाद अन्तर्गत धारा 175,177 आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 75 / 19 व 2019 / 00107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
09-12-19	प्रार्थी महिपाल पुत्र चन्दगीराम द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करने पर पुनः पे ी में ली गई। प्रार्थी द्वारा वादी श्री सुरजाराम के फौत हो जाने पर वादी के वारिसान सं ोधन आदे ा निकालने हेतु निवेदन किया है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02. 2016 द्वारा रिमाण्ड वाद संख्या 119 / 2015 में वादी सुरजाराम पुत्र बलाराम जाति नायक साकिन बेरासर छोटा तहसील राजगढ जिला चुरू के पक्ष में निर्णय करते हुये रकबा बहाल किया गया था। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 1300 दिनांक 04.12.19 द्वारा अवगत कराया गया कि सुरजाराम पुत्र बलाराम जाति नायक की मृत्यु दिनांक 25.04.1983 को हो चुकी है। मृतक के वारिसान का विवरण एवं पुश्टि की गई है प्रकरण में तहसीलदार द्वारा वादी सुरजाराम की जगह वारिसान को वादी घोशित करने हेतु निवेदन किया गया है। मूल पत्रावली तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन व गहन अध्ययन किया गया एवं इस निश्कर्श पर पहुंचे कि मूल वादी का देहान्त हो जाने के कारण मूल वादी के वारिसान गुरूदयाल, जयसिंह, डूंगर, चिड़िया देवी, किताबी पुत्र पुत्रीयां सुरजाराम, लिछमा पत्नि मेहरचन्द, महावीर प्रसाद, देबुराम, लीलूराम, मणी देवी पुत्र पुत्रीयां मेहरचन्द, बुद्विदेवी पत्नि सांवलाराम, सतवीर सिंह, मदन, राजोदेवी, भानीदेवी, कमला देवी, भतेरी देवी, सन्तोश पुत्र पुत्रीयां सांवलाराम, ओमपति पत्नि हनुमान, सिलोचना, सुमन पुत्रियां हनुमान व महेन्द्रसिंह, महिपाल, पप्पूराम, सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण चन्दगीराम, सावित्री देवी पत्नि बहादुर, पूनम, संदीप, रेखा, विजेन्द्र, कान्ता पिसरान बहादुर व विनोद कुमार, मुके ा कुमार माता मुन्नी देवी पुत्री	

	चन्दगीराम को वादी घोशित किया जाता है। नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एव राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार खाजूवाला में प्रति भेजी जावे। भोश प्रविश्टियां यथावत रहेगी।	